From,

Praveen Kumar Pandey

Additional District & Sessions Judge/ Special Judge (E.C.Act)

Aligarh.

To,

The Registrar General High Court of Judicature at

Allahabad.

Through

The District Judge,

Aligarh.

Subject:- "Regarding exercise of one time option to switch from National Pension System/New Pension Scheme to Old Pension Scheme in compliance of letter No. 9691/IV-F-82 (Pension)/Admin. (A) dated July 16, 2024 issued by Hon'ble Court in the light of G.O. No. 14/2024/Sa-3-243/X-2024/301 (1)/2024 dated 28.06.2024 read with G.O. No. 20/2024/Sa-3-276/X-2024/301 (1)/2024 dated 11.07.2024 of the Government of U.P.".

Sir,

Regarding the captioned subject, it is most humbly submitted that the Hon'ble Court through its letter no. 9691/IV-F-82 (Pension)/ Admin. (A) dated July 16, 2024 has been pleased to invite applications in online mode on E-Services JO Portal as well as in offline mode from all the judicial officials of State of U.P. who fulfil the criteria as laid down in aforesaid G.O. dated 28.06.2024, as per proforma of Option Form.

The applicant was appointed as Additional Civil Judge (Junior Division) in U.P. Nyayik Sewa on 26.05.2006 on the basis of vacancy advertisement No.-A-2/E-1/2003 dated 15.11.2003 and the applicant joined the aforesaid service on 16.06.2006. The said vacancy was advertised prior to issuance of State Government Notification No. Sa-3-379/X-2005-301(9)-2003 dated 28.03.2005. Therefore, the applicant is entitled to get benefits of Old Pension Scheme.

Therefore, it is humbly requested that the applicant is, herewith, submitting his Option Form opting to switch over from National Pension System/ New Pension Scheme to Old Pension Scheme and the same may kindly be accepted. The Option Form is also being submitted in online mode on E-Services JO Portal separately. With regards.

Date: - 27.09.2024

Enclosure:- Duly filled Option Form

(Praveen Kumar Pandey)

Yours Faithfully,

Additional District & Sessions Judge/ Special Judge (E.C.Act) Aligarh.

विशेष न्यायाधीश (आ०व०अधि०) अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश. अलीगढ

OFFICE OF THE DISTRICT JUDGE, ALIGARH No. 2642 / Gvil Dated 274 4 FORWARDED

> DISTRICT JUDGE 27.9.24

शासनादेश संख्या— 20/2024/सा—3—276/दस—2024/301(1)/2024 दिनांक 11 जुलाई, 2024 का संलप्रकः— विकल्प पत्र

1. नाम : प्रवीण कुमार पाण्डेय

2. वर्तमान पदनाम : : अपर जिला जज/ विशेष न्यायाधीश (ई०सी०एक्ट), अलीगढ़

3. वेतनमान : : 1,44,840 - 1,94,660

4. वर्तमान विभाग का नाम : : न्याय विभाग

5. राज्य सरकार के अधीन प्रथम नियुक्ति के पद पर भर्ती हेतु विज्ञप्ति जारी करने वाले विभाग का नाम

उ.प्र. शासन, नियुक्ति अनुभाग-४ (माध्यम-लोक सेवा आयोग, उ.प्र.)

6. विज्ञप्ति की तिथि : 15.11.2003 (विज्ञापन संख्या-A-2/ई-1/2003)

7. विज्ञप्ति के सापेक्ष नियुक्ति की तिथि: 26.05.2006 (संख्या 2430/दो-4-06-32 (1)/2001 टी.सी. 1 उ.प्र. शासन

नियुक्ति अनुभाग 4, लखनऊ)

8. योगदान की तिथि: 16.06.20069. जन्म तिथि: 07.06.197210. सेवानिवृत्ति की तिथि: 30.06.2032

मैं **प्रवीण कुमार पाण्डेय पुत्र बांकेबिहारी पाण्डेय** शासनादेश संख्या-14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1)/2024 दिनांक 28 जून, 2024 के अन्तर्गत पुरानी पेंशन योजना (OPS) में सम्मिलित होने का विकल्प देता हूँ। मेरे द्वारा दिया गया यह विकल्प अन्तिम समझा जाय।

दिनांक- 27/09/2024

हस्ताक्षर- श्रुवीण कुमार पाण्डेय

पदनाम- अपर जिला एवं सत्र

न्यायाधीश (विशेष न्यायाधीश (ई०सी०एक्ट),

जनपद- अलीगढ़।

घोषणा पत्र

विशेष न्यायाधीश (अव०व०अधि०) अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीगढ

मैं, प्रवीण कुमार पाण्डेय , पदनाम – अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश /विशेष न्यायाधीश (ई०सी०एक्ट) जनपद अलीगढ़।, यह घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त क्रम संख्या-01 से 10 तक अंकित तथ्य मेरी जानकारी में सही हैं तथा मेरे द्वारा कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है।

दिनांक- 27/09/2024

नाम- प्रवीण कुमार पाण्डेय

पदनाम- अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश (ई०सी०एक्ट),

पायाधारा/ विशेष न्यायाधारा (६०सा०एक) जनपद- अलीगढ़।

विशेष न्यायाधीश (आ॰व॰जिथ॰) अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीगढ

सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष विभागाध्यक्ष द्वारा भरा जायेगा

श्री प्रवीण कुमार पाण्डेय , पदनाम – अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश /विशेष न्यायाधीश (ई०सी०एक्ट) जनपद अलीगढ़।, को उपरोक्त तथ्यों के आधार पर पुरानी पेंशन योजना (OPS) में सम्मिलित किये जाने हेतु इस विभाग की संस्तुति/सहमति प्रदान की जाती है।

दिनांक-27/09/2024

जिला एवं स्थान न्यायाधीश जलगढ़ा २०१० लेवा में.

महानिबन्धक, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद।

विषय-

राज्य सरकार के शासनादेश संख्या – 14/2024/सा–3–243/दस–2024/301(1)2024 दिनांक 28 जून 2024 के तथा माननीय उच्च न्यायालय के पत्र संया <u>9691/</u> IV–F–82 (Pension) Admin.(A) दिनांक 16 जुलाई 2024, के कम में **पुरानी पेन्सन योजना का विकल्प** (O.P.S. – Old Pension Scheme) लिए जाने के संबंध मे

माननीय महोदय,

सादर निवेदन इस प्रकार है कि प्रार्थी कि नियुक्ति राज्य सरकार के रिक्त विज्ञापन संख्या-ए-2/ई-1/2003 दिनांकित 15-11-2023 के सापेक्ष उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में दिनांक 20-04-2006 को नियुक्त हुआ था।

उक्त शासनादेश के प्रकाश में प्रार्थी **पुरानी पेन्शन योजना का विकल्प** (O.P.S. – Old Pension Scheme) का विकल्प चयनित कर रहा है।

अतः उक्त शासनादेश के तथा माननीय उच्च न्यायालय के पत्र के अनुक्रम में अपना विकल्प पत्र उचित माध्यम माननीय जिला जज अलीगढ़ के माध्यम से अग्रसारित कराकर पृथक़ से प्रेषित कर रहा है तथा ई सर्विस पोर्टल पर भी पुरानी पेन्शन योजना का विकल्प (O.P.S.— Old Pension Scheme) का आवेदन प्रस्तुत कर रहा है। अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किए जाने की कृपा करें।

ससम्मान।

दिनांक-27-09-2024

भवदीय

(प्रवीण कुमार पाण्डेय) विशेष न्यायाधीश(ई०सी०एक्ट) / अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष **असीयां**ख (अन्व**ायिक)** अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीगढ

संलग्नक प्रार्थनापत्र एवं **पुरानी पेन्सन योजना का विकल्प पत्र** अपर जिला एवं सत्र न्याय (O.P.S. – Old Pension Scheme) की स्कैन कापी भी अपलोड की जा रही है।